



# SOUTHERN RAILWAY

## PALGHAT/ DIV

ID: 2025602619

Office Order No. : J/P.524/IX/08/2025/TM/MACP/CAN

Office Of: O/o Sr.Divisional  
Personnel Officer, Palakkad

Date : 13-01-2026

विषय/Sub : इंजीनियरिंग विभाग/पालक्काड विभाग के कर्मचारियों के लिए एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन/Financial Up gradation under MACP Scheme for employee under Engg.Dept/PGT Divn.

संदर्भ/Ref : रेलवे बोर्ड का पत्र सं. पीसी VI/2009/ACP/2 (RBE 101/2009) दिनांक 10.06.2009/Railway Board letter no. PC VI/2009/ACP/2 (RBE 101/2009) dated 10.06.2009.

ऊपर उल्लिखित रेलवे बोर्ड के पत्र के अनुसार, इंजीनियरिंग विभाग के निम्नलिखित कर्मचारी जिन्होंने 10/20/30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की है/एक ही ग्रेड वेतन में लगातार 10 वर्ष बिताए हैं और इस प्रयोजन के लिए नामित समिति द्वारा उपयुक्त पाए गए हैं, को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना के तहत प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन के लिए विचार किया जाता है और वित्तीय उन्नयन प्रदान करके कर्मचारियों के आगे सूचितानुसार तत्काल अगले उच्च वेतन मैट्रिक्स लेवल में रखा जाता है। In terms of Railway Board's letter cited above, the following employees of Engineering Dept. who have completed 10 / 20 / 30 years of regular service / having spent 10 years continuously in the same grade Pay and found suitable by the committee nominated for the purpose, is considered for 1st/2nd/3rd Financial Up gradation under " MODIFIED ASSURED CAREER PROGRESSION " Scheme and granted financial up gradation and placed in the immediate next higher Pay Matrix Level as indicated against the employee.

Sr No.	Name / HRMS ID / Employee No / Community	Sub Type / W.E.F	Existing Particular	Revised Particular	Remarks
			Department / Designation Zone /Division/Station/Office/Section BU Pay Level/Basic Pay	Department / Designation Zone /Division/Station/Office/Section BU Pay Level/Basic Pay	
1	V.VIDHYA / DKLEUN / 15215MS1110 / OBC	MACP Promotion / 10-01-2026	CIVIL ENGINEERING / TRACK MAINTAINER-IV SR / PGTND / ETK / SSE/PWAY/O/CAN / 0605230 1 / 22800	CIVIL ENGINEERING / TRACK MAINTAINER-IV SR / PGTND / ETK / SSE/PWAY/O/CAN 0605230 1 / 0 MACP: 1 MACP Pay Level: 2	1 MACP w.e.f.11.12.2025/10.01.2026( 29 days NQS)

### शर्तें/Condition:

1. संलग्न सूची में उल्लिखित कर्मचारियों के विरुद्ध कोई अनु अनि/विपुस्था /सतर्कता का मामला लंबित नहीं है /There is no DAR/SPE/Vigilance cases pending or penalties in effect against the employee mentioned in the

enclosed list.

2. यह वित्तीय उन्नयन उन्हें वरीयता स्थिति/यूनिट, पदनाम, झूटी की हैसियत या प्रकृति में से कोई परिवर्तन प्रदान नहीं करेगा और केवल सामान्य प्रक्रिया में ही नियमित आधार पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा।/ This financial up gradation will not confer on her any change in seniority position /unit, Designation, status or nature of duties and she will be considered for promotion on regular basis in the normal channel only.

3. कर्मचारी, आहरित वेतन से जुड़े उच्च आवास, अग्रिम, ऋण, पास व पी.टी.ओ और यात्रा भत्ता आदि के लिए अनुमेय है। She is entitled to higher type of accommodation, advances loans, Passes, PTO s & TA based on this higher pay fixed.

4. वे वेतन नियतन के लिए निम्नलिखित विकल्पों को चुन सकते हैं।/ She is eligible to exercise option for fixation as mentioned below:-

ए) आईआरईसी जिल्द II (VI संस्करण 1987 - दूसरा पुनर्मुद्रण 2005) एफआर 22(1) (ए)(1) के नियम 133(1) (ए)(1) के तहत उनकी अपग्रेडेशन की तारीख से पद / ग्रेड वेतन में वेतन नियतन।

बी) उस वर्ष की जनवरी की पहली तारीख / जुलाई की पहली तारीख जो भी उनकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख हो। रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या पीसी-VI/2008/1/आरएसआरपी/1 दिनांक 25.09.2008 (पीसी-VI/22, आरबीई संख्या 132/2008) के स्पष्टीकरण संख्या 2 के अनुसार वेतन और वेतन वृद्धि की तिथि तय की जाएगी।

a). भारतीय स्थापना संहिता जिल्द-II (VI संस्करण 1987-द्वितीय पुनर्मुद्रण 2005) FE 22 (1) (a) (i) के नियम 1313 (1) (a) के तहत वेतन निर्धारण अपने या तो उन्नयन की तारीख से ग्रेड वेतन में अपना वेतन निर्धारित करना। Pay fixation under Rule 1313(1) (a) of the Indian Establishment Code Volume-II(VI Edition 1987-2nd Reprint 2005) FE 22(1) (a) (i) to get his pay fixed in the grade pay either from the date of her up gradation.

b) वर्ष के 1 जुलाई से उनकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख से। वेतन और वेतन वृद्धि की तारीख रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या पीसी-VI/2008/1/RSRP/1 दिनांक 25.09.2008 के स्पष्टीकरण संख्या 2 के (PC-VI/RBE सं.132/2008) अनुसार तय की जाएगी। From the date of her next increment from 1 st July of the year. The pay and the date of increment would be fixed in accordance with clarification No.2 Railway Board's letter No. PC-VI/2008/1/RSRP/1 dated 25.09.2008 (PC-VI/RBE No.132/2008).

यदि वे इस कार्यालय आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं तो उनका वेतन उपरोक्त 4(ए) के अनुसार नियत किया जाएगा

In case an employee does not exercise any option within one month from the date of issue of this office order, it may be noted that her pay will be fixed as 4 (a) above.

इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है

This has the approval of competent authority

(बीना के आर/Beena K R)

सहायक कार्मिक अधिकारी-II/Asst. Personnel Officer-II

कृ वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी /For Sr.Divisional Personnel Officer

File Reference No. :

Copy forwarded for information and necessary action to:

प्रति/Copy to: Sr.DEN/Co-Ord/PGT, Sr.DEN/W/PGT, Sr.DFM/PGT, RA/PGT, ADEN/CAN,

Ch.OS/WB/PGT, Ch.OS/Engg./PB, SSE/PW/CAN,

Employee....through, O.O.File, PCF

DS/SRMU/PGT, DS/DREU/PGT, DS/AISC/ST REA/PGT, DS/AIOBC REA/PGT

Annexure attached : 0 Pages

कृ वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी /For Sr.Divisional Personnel Officer